[2019] 4 एस. सी. आर 521

डीप नारायण चौरसिया

वी.

बिहार राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 180)

फरवरी 25,2019

[अभय मनोहर सेप्रे और

दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: एसएस। 302 / 149 - हत्या के लिए पांच व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, ट्रायल कोर्ट ने एस के तहत एक आरोपी को दोषी ठहराया। 302 आई. पी. सी. और

एस के तहत। 27 शस्त्र अधिनियम और एस के तहत अन्य चार सह-अभियुक्त। 27 केवल शस्त्र अधिनियम-अपील पर, उच्च न्यायालय ने चार सह-अभियुक्तों को दोषी ठहराया

एसएस के तहत भी। 302 / 149 अभियुक्त के साथ-तत्काल अपील में, केवल एक सह-अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी-आयोजितः उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से गलत धारणा के तहत एक राय बनाकर खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया जैसे कि सभी पांचों अभियुक्तों को एस. एस. के तहत दोषी ठहराया गया था। 302 / 149 और एस के तहत चार सह-अभियुक्तों को भी दोषी ठहराया। 302 / 149 अभियुक्त के साथ-साथ उच्च न्यायालय अपने न्यायिक दिमाग को लागू करने में विफल रहा और मौलिक क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियां कीं-एस. एस. के तहत सह-अभियुक्तों को बरी करने के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी। 302 / 149 न ही कोई नोटिस था

इन चार अभियुक्तों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए जारी उनकी सजा में वृद्धि-उच्च न्यायालय यह देखने में विफल रहा कि निचली अदालत ने एस के तहत सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया था। 149 आई. पी. सी., फिर भी एस. के तहत सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए आगे बढ़ा। 149 इस मुद्दे पर राज्य द्वारा कोई अपील दायर किए बिना आई. पी. सी.-इसके अलावा, हालांकि उच्च न्यायालय ने एस. एस. के तहत दंडनीय अपराध के लिए तीन अन्य लोगों के साथ अपीलार्थी को गलत तरीके से दोषी ठहराया। 302 / 149 आई. पी. सी. ने अभी तक चार अभियुक्तों में से किसी को भी एस. एस. के तहत कोई सजा नहीं सुनाई है। 302 / 149 आई. पी. सी. जो अनिवार्य रूप से प्रत्येक दोषी आरोपी को दिया जाना आवश्यक था

अपीलः अपील न करने वाला अभियुक्त-अपील न करने वाले अभियुक्त पर अपील में निर्णय का प्रभाव-तत्काल मामले में, एकल की अपील अपीलार्थी को अनुमति है-क्या पूरा आक्षेपित आदेश होना है

एकमात्र अपीलार्थी को अलग या केवल निर्धारित करें-आयोजितः पूरे विवादित आदेश को सभी अभियुक्तों के खिलाफ अलग रखा जाना है-एक आदेश, जो पूरी तरह से गलत तथ्यात्मक आधार पर आधारित है, जिसे एक बार एक अभियुक्त द्वारा अवैध ठहराया गया था। एक अभियुक्त के कहने पर उच्च न्यायालय को अन्य गैर-अपील अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ भी खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-किसी न्यायालय द्वारा की गई अवैधता को किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल इसलिए कायम रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था।

न्यायालय के संज्ञान में अवैधता और इसके बजाय आई. एस. में इसी तरह रखे गए अन्य व्यक्ति ने ऐसी अवैधता को न्यायालय के संज्ञान में लाया और अपनी चुनौती में सफल हुए-गैर-अपील करने वाले सह-अभियुक्त भी इस न्यायालय के आदेश का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं और इसलिए वे अपीलार्थी निर्णय/आदेश-दंड संहिता, 1860-एस. के साथ अपनी अपीलों की फिर से सुनवाई के हकदार हैं। 302 / 149 .

अपील को अनुमति देना और मामले को उच्च न्यायालय में भेजना,

न्यायालय

पकड़नाः उच्च न्यायालय गलत तथ्यात्मक आधार पर आगे बढ़ा

अपीलीय कार्यवाहियों के किसी भी चरण में ऐसे आरोप का बचाव करने का कोई अवसर। यदि अन्य चार अभियुक्तों ने इस न्यायालय में अपील दायर की होती तो उन्हें भी इस आदेश का लाभ मिलता। दुर्भाग्य से, केवल इसलिए कि उन्होंने अपील दायर नहीं की और मामला अब एक अभियुक्त के कहने पर अपील की फिर से सुनवाई के लिए भेज दिया गया है, अपील की फिर से सुनवाई के लाभ से अन्य सह-अभियुक्तों को वंचित नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, गैर-आकर्षक सह-अभियुक्त भी इस न्यायालय के आदेश का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं और इसलिए वे अपनी अपीलों की फिर से सुनवाई के हकदार हैं।

वर्तमान अपीलार्थी के साथ। यह इन सभी कारणों से है, डीप नारायण चौरसिया बनाम।

बिहार राज्य आदेश भी सभी के लिए अलग रखा गया है। [पारस 17,28,29,31-33] [527-F; 530-B, C, D, G] दुर्गा शंकर मेहता बनाम। ठाकुर रघुराज सिंह ओआरएस। ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 520 [1955] एस. सी. आर. 287-इसके बाद हरबंस सिंह बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। , (1982) 2 एस. सी. सी 101: [1982] 3 एससीआर 235; राजा राम और अन्य। वी. राज्य एम. पी. (1994) 2 एस. सी. सी 568: [1994] 2 एस. सी. आर. 114; चेलप्पन मोहनदास और अन्य। वी. केरल राज्य (1995) पूरक (एस. सी. सी. 259; दांडू लक्ष्मी रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य। (1999 7 एस. सी. सी 69: [1999] 1 पूरक। एससीआर 535; अनिल राय बनाम। बिहार राज्य (2001) 7 एससीसी 318: [2001] 1 पूरक। एस. सी. आर. 298 बिजय सिंह और अन्र। वी. बिहार राज्य (2002) 9 एससीसी 147: [2002] 3 एस. सी. आर. 17; गुरुचरण कुमार और अन्र। वी. राजस्थान राज्य (2003) 2 एससीसी 698: [2003] 1 एससीआर 60 सुरेश चौधरी बनाम। बिहार राज्य (2003) 4 एस. सी. सी. 128 अखिल अली जहांगीर अली सैयद बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2003) 2 एस. सी. सी. 708; पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य 2003) 11 एससीसी 241: [2003] 1 पूरक। एस. सी. आर. 710-पर निर्भर। मामला कानून संदर्भ एस. सी. आर. 287 पैरा 3 एस. सी. आर. 235 पैरा 2 एस. सी. आर. 114 पैरा सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 259 पैरा 1 सप्लीमेंट पर निर्भर था। एस. सी. आर. 535 पैरा 1 सप्लीमेंट पर निर्भर था। एस. सी. आर. 298 पैरा 3 एस. सी. आर. 179 पर निर्भर था पैरा 1 एस. सी. आर. 60 पर निर्भर था पैरा 4 एस. सी. सी. 128 पर निर्भर था पैरा 2 एस. सी. सी. 708 पैरा 1 पूरक पर निर्भर था। एससीआर 710 पैरा [2019] 4 एससीआर पर निर्भर था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

180 2019 से।

1994 के आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 77 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

ब्रजेश कुमार, ए. P.Sinha,। सौरभ कुमार, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1. इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है।

1994 के आपराधिक अपील (डी. बी.) No.77 में पटना में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 14.11.2017 जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

2. इस अपील में शामिल संक्षिप्त प्रश्न की सराहना करने के लिए, कुछ प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है। 3. पाँच व्यक्ति, अर्थात् (1) लुखो प्रसाद चौरसिया, (2) बीरेंद्र प्रसाद चौरसिया, (3) बिनोद प्रसाद चौरसिया, (4) दीप नारायण।

चौरसिया और (5) कन्हई प्रसाद चौरसिया पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित) की धारा 302/149 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत सत्र मामला संख्या 264/1992 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेर द्वारा कौशल्या देवी की हत्या के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था।

4. दिनांक 08.02.1994 के फैसले से, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी-कन्हई प्रसाद चौरसिया को दोषी ठहराया।

आई. पी. सी. की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध और तदनुसार उन्हें आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत सात साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएँ एक साथ चलनी थीं।

5. जहाँ तक सह-अभियुक्तों की बात है-लुखो प्रसाद चौरसिया, बीरेंद्र प्रसाद चौरसिया, बिनोद प्रसाद चौरसिया और दीप नारायण चौरसिया हैं।

संबंधित, चारों को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध करने के आरोप से बरी कर दिया गया था। हालाँकि, चारों अभियुक्तों को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था और तदनुसार उन्हें पाँच साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। सत्र न्यायाधीश के आदेश का समापन पैरा इस प्रकार है -

इसके अंतर्गतः

डीप नारायण चौरसिया बनाम। बिहार राज्य [अभय मनोहर सप्रे, जे.] " तदनुसार, मेरे निष्कर्षों के आधार पर, आरोपी कन्हई प्रसाद चौरसिया, जो हिरासत में है, को आई. पी. सी. की धारा 272 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया जाता है और उसे अपनी सजा काटने के लिए फिर से हिरासत में भेज दिया जाता है और आरोपी लुखो प्रसाद चौरसिया,

बीरेंद्र प्रसाद चौरसिया, बिनोद प्रसाद चौरसिया और

दीप नारायण चौरसिया; जो जमानत पर हैं; शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप, उनके जमानत बांड हैं

रद्द कर दिया जाता है और उनकी सेवा करने के लिए हिरासत में लिया जाता है

वाक्य "।

6. ऊपर नामित सभी पाँच अभियुक्तों ने उनसे व्यथित महसूस किया

संबंधित दोषसिद्धि और जेल की सजा का अधिनिर्णय और उच्च न्यायालय में दो आपराधिक अपील दायर की। 7. जहाँ तक कन्हई प्रसाद चौरसिया का संबंध है, उन्होंने आपराधिक अपील (डी. बी.) No.112/1994 दायर की, जबकि शेष चार अभियुक्तों का संबंध है, उन्होंने संयुक्त रूप से आपराधिक अपील (डी. बी.) No.77/1994 पटना उच्च न्यायालय में दायर की। दोनों आपराधिक अपीलों को एक साथ जोड़ा गया था

सुनने के लिए। 8. जहाँ तक अभियुक्त कन्हई प्रसाद चौरसिया द्वारा दायर आपराधिक अपील No.112/1994 का संबंध है, इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

इसमें केवल एक ही बात थी, कि क्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को धारा के तहत उन्हें (कन्हई प्रसाद चौरसिया) दोषी ठहराने में न्यायसंगत ठहराया गया था।

302 आई. पी. सी. को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के साथ पढ़ा जाता है।

9. जहाँ तक शेष चार अभियुक्तों, जैसे कि लुखो प्रसाद चौरसिया, बीरेंद्र प्रसाद चौरसिया, बिनोद प्रसाद चौरसिया और दीप नारायण चौरसिया द्वारा दायर आपराधिक अपील 1994 का संबंध है, उसमें शामिल प्रश्न यह था कि क्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इन चारों अभियुक्तों को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराते हुए उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

पाँच साल।

आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत दोषी ठहराया गया और तदनुसार आगे बढ़े साक्ष्य की सराहना करते हुए और एक सामान्य निर्णय द्वारा दोनों अपीलों को खारिज करते हुए कन्हैया प्रसाद चौरसिया के साथ आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत चार अभियुक्तों को दोषी ठहराया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. यह आक्षेपित के पहले और अंतिम पैरास से स्पष्ट है।

मेंट, जो नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः

पहला पैरा

" चूंकि ये दोनों अपीलें दिनांकित निर्णय से उत्पन्न होती हैं।

8 फरवरी, 1994 को 12 वें अतिरिक्त सत्र द्वारा पारित किया गया

सत्र परीक्षण सं. 264/92 में न्यायाधीश, मुंगेर, दोषी ठहराते हुए

आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपीलार्थी जीवन के साथ

कारावास और अन्य अभियुक्त के अधीन अपराध के लिए धारा 302/149 आई. पी. सी. से लेकर आजीवन कारावास तक, इसी तरह प्रत्येक

उनमें से शस्त्र अधिनियम के अपराध 27 से लेकर पांच साल के आर. आई. तक के लिए, ये अपीलें अपीलार्थियों द्वारा दायर की गई हैं और वे

इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है। (जोर दें। आपूर्ति की गई)

समापन पारस

" भले ही अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा

साक्ष्य के माध्यम से हमें नाबालिग को इंगित करने की कोशिश की

उसी में विरोधाभास, लेकिन हम पाते हैं कि

गवाहों द्वारा और जैसा कि फरदबेयान में दर्ज किया गया है पी. डब्ल्यू. 5 सुंदर तांती सिद्ध हुए हैं। यह एक ऐसा मामला है जहाँ

सुबह हुई घटना के बाद अपीलार्थी,

अपराध करने के इरादे से, राइफलों से लैस

और पिस्तौल मौके पर आई, अपराध किया और

भागने के दौरान, गाँव वालों को धमकाने के लिए जिन्होंने

वहाँ इकट्ठा होकर, हवा में गोलीबारी करते हुए भाग गए। यह एक ऐसा मामला है जहाँ

उन्होंने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया, अपराध किया

और, इसलिए, धारा 303 और 302/149 के तहत दोषसिद्धि आई. पी. सी. का निर्णय उचित है और क्योंकि संपूर्ण दोषसिद्धि इस पर आधारित है -

जो सबूत रिकॉर्ड में आए, हम कोई कारण नहीं देखते हैं

मामले में हस्तक्षेप करें और इस अपील की अनुमति दें। द. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले और दोषसिद्धि को साबित कर दिया है।

माना जाता है कि यह किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं है।

तदनुसार, हम इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं

बात है। योग्यता से रहित होने के कारण अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

याचिकाकर्ता जमानत पर हैं। उनकी जमानत-बांड रद्द कर दिए जाते हैं।

उन्हें गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है

उनकी सजा के शेष भाग से गुजरने के लिए।

(जोर दिया गया)

12. उच्च न्यायालय के फैसले का प्रभाव तीन गुना है। पहला, दोनों आपराधिक अपीलें खारिज हो जाती हैं; दूसरा, दोषसिद्धि और

शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत कन्हई प्रसाद चौरसिया की सजा बरकरार है और तीसरा, शेष चार आरोपी-लुखो प्रसाद चौरसिया, बीरेंद्र प्रसाद चौरसिया, बिनोद प्रसाद चौरसिया और दीप नारायण चौरसिया को भी दोषी ठहराया गया है। आई. पी. सी. की धारा 149 और आई. पी. सी. की धारा 27 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत

शस्त्र अधिनियम।

13. यह इस फैसले के खिलाफ है, केवल एक आरोपी-दीप नारायण चौरसिया ने व्यथित महसूस किया है और विशेष के माध्यम से यह अपील दायर की है।

इस न्यायालय में छोड़ दें।

14. इसलिए, इस अपील में विचार के लिए जो सवाल उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा दायर अपील को खारिज करने में सही था

एतऽ अपीलार्थी।

15. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और अवलोकन पर

हम अपील की अनुमति देने, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार करने और कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर विचाराधीन अपील की फिर से सुनवाई के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेजने के लिए विवश हैं।

16. हमारी राय में, खंड पीठ अपने न्यायिक दिमाग को लागू करने में विफल रही और मौलिक क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियां कीं जैसा कि नीचे विस्तृत है।

17. पहली गलती यह थी कि उच्च न्यायालय गलत तरीके से आगे बढ़ा

तथ्यात्मक आधार कि सभी पाँच अभियुक्तों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत दोषसिद्धि का सामना करना पड़ा है। ऐसा नहीं था।

18. दूसरी त्रुटि यह थी कि अपीलार्थी (दीप नारायण चौरसिया) को अन्य तीन अभियुक्तों (लुखो प्रसाद चौरसिया, बीरेंद्र प्रसाद चौरसिया और बिनोद प्रसाद चौरसिया) के साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत अपराध के आरोप से बरी कर दिया गया था, लेकिन उन्हें केवल शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्हें पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप, उन्हें बरी करने के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा कोई अपील दायर किए बिना और उच्च न्यायालय द्वारा इन चारों अभियुक्तों को स्वतः संज्ञान लेते हुए उनकी सजा बढ़ाने का कोई नोटिस जारी किए बिना आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत दोषी ठहराया गया था।

9] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. दूसरे शब्दों में और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल यह था कि क्या इसमें अपीलार्थी (दीप नारायण)

चौरसिया) और अन्य तीन अभियुक्तों को उचित रूप से दोषी ठहराया गया और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत पांच साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जैसा भी मामला हो, दोषसिद्धि या बरी होने की पुष्टि के किसी भी निष्कर्ष को दर्ज करने के बजाय, उच्च न्यायालय ने सभी चार अभियुक्तों को धारा 302/149 के तहत दोषी ठहराया।

आई. पी. सी. भी।

149 आई. पी. सी., फिर भी उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर राज्य द्वारा कोई अपील दायर किए बिना आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए आगे बढ़ा। 21. चौथी त्रुटि यह थी कि यद्यपि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को तीन अन्य लोगों के साथ गलत तरीके से आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया, फिर भी इनमें से किसी को भी कोई सजा नहीं दी।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354 (3) के तहत प्रदान किया गया। 23. अतः, आक्षेपित निर्णय का प्रभाव यह है कि यद्यपि अपीलार्थी को तीन अभियुक्तों के साथ इसके तहत दोषसिद्धि का सामना करना पड़ा है।

आई. पी. सी. की धारा 302/149 लेकिन सजा के बिना।

24. अब, अगला सवाल, जो विचार के लिए उठता है, हालांकि किसी भी पक्ष द्वारा आग्रह नहीं किया गया है, यह है कि क्या हमें पूरे मामले को अलग रखना चाहिए।

आक्षेपित आदेश या यहाँ केवल एकमात्र अपीलार्थी को ही दरकिनार कर दें क्योंकि अन्य चार अभियुक्तों को हालांकि आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत समान रूप से दोषसिद्धि का सामना करना पड़ा, लेकिन अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की और दूसरा, अन्य अभियुक्त-कन्हई प्रसाद चौरसिया, जिनकी दोषसिद्धि और सजा को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत बरकरार रखा गया था, ने भी इसमें कोई अपील दायर नहीं की है। यह न्यायालय।

डीप नारायण चौरसिया बनाम। बिहार राज्य [अभय मनोहर सप्रे, जे.]

25. दुर्गा शंकर मेहता बनाम ठाकुर रघुराज सिंह और अन्य मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ। , ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 520 ने जांच की

यह प्रश्न कि क्या संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग गैर-अपील अभियुक्त के पक्ष में न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वतः किया जा सकता है।

26. विद्वान न्यायाधीश बी. के. मुखर्जी (जैसा कि वे तब थे और बाद में सीजेआई बने) पीठ के लिए अपनी विशिष्ट लेखन शैली में बोल रहे थे सकारात्मक धारणा में प्रश्न का उत्तर दिया किः

" संविधान के अनुच्छेद 136 द्वारा दी गई शक्तियाँ

ऐसे मामलों में जहां न्याय की आवश्यकताएं देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग करती हैं। लेख स्वयं है यथासंभव व्यापक शब्दों में लिखा गया। ..... संविधान

सबसे अच्छे कारणों से बंधन का विकल्प नहीं चुना या

किसी भी तरह से.. ... . यह प्रबल शक्ति, जिसमें निहित किया गया है

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, एक अर्थ में किसी व्यक्ति को मनोरंजन देने के विशेषाधिकार अधिकार से अधिक व्यापक है।

इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा की गई अपील।

27. तब से इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील में पारित आदेश का लाभ लगातार बढ़ाया है।

हरबंस सिंह बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। , (1982) 2 एससीसी 101, राजा राम और अन्य। बनाम। एम. पी. राज्य (1994) 2 एस. सी. सी. 568, चेल्लप्पन मोहनदास और ओआरएस। बनाम केरल राज्य, 1995 पूरक (1) एस. सी. सी. 259, दांडू लक्ष्मी रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य। , (1999) 7 एस. सी. सी. 69, अनिल राय बनाम बिहार राज्य, (2001) 7 एस. सी. सी. 318, बिजय सिंह और अन्र। बनाम बिहार राज्य, (2002) 9 एस. सी. सी. 147, गुरुचरण कुमार और अन्र। बनाम राजस्थान राज्य, (2003) 2 एस. सी. सी. 698, सुरेश चौधरी बनाम बिहार राज्य, (2003) 4 एस. सी. सी. 128, अखिल अली जहांगीर अली सैयद बनाम राज्य

महाराष्ट्र, (2003) 2 एससीसी 708 और पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2003) 11 एससीसी 241]।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. इस प्रश्न पर अपनी चिंता को ध्यान में रखते हुए और तय किए गए मामलों में निर्धारित कानून के उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हमारी विचारशील राय है कि पूरे विवादित आदेश को सभी पांचों अभियुक्तों के खिलाफ अलग कर दिया जाए। 29. हमारे विचार में, एक आदेश, जो पूरी तरह से गलत तथ्यात्मक आधार पर आधारित है, जिसे एक बार एक उच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया गया था।

अभियुक्त को अन्य गैर-अपील अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ भी खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

30. यह कानून का एक मौलिक सिद्धांत है कि अदालत द्वारा की गई अवैधता को किसी व्यक्ति के खिलाफ कायम रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। केवल इसलिए कि उन्होंने इस तरह की अवैधता को न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया और इसके बजाय इसी तरह लिस में रखे गए अन्य व्यक्ति ने इस तरह की अवैधता को न्यायालय के ध्यान में लाया और अपनी चुनौती में सफल हुए।

31. यह न्याय वितरण प्रणाली का उपहास होगा जहां एक आरोपी, जिसे कम अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है (अकेले शस्त्र अधिनियम की धारा 27)। और एक गंभीर अपराध (आई. पी. सी. की धारा 302/149) से बरी कर दिया गया था, उसे अपीलीय कार्यवाही के किसी भी चरण में इस तरह के आरोप का बचाव करने का कोई अवसर दिए बिना एक गंभीर अपराध (आई. पी. सी. की धारा 302/149) के लिए दोषसिद्धि का सामना करना पड़ता है।

32. कहने की जरूरत नहीं है कि अगर अन्य चार अभियुक्तों ने इस अदालत में अपील दायर की होती तो उन्हें भी इस आदेश का लाभ मिलता। दुर्भाग्य से, केवल इसलिए कि उन्होंने अपील दायर नहीं की और मामला अब एक अभियुक्त के कहने पर अपील की फिर से सुनवाई के लिए भेज दिया गया है, अपील की फिर से सुनवाई के लाभ से अन्य सह-अभियुक्तों को वंचित नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, गैर-अपील सह-अभियुक्त भी इस न्यायालय के आदेश का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं और इसलिए, वर्तमान अपीलार्थी के साथ अपनी अपीलों की फिर से सुनवाई के हकदार हैं।

33. इन सभी कारणों से, विवादित आदेश सभी अभियुक्त व्यक्तियों के लिए भी अलग रखा गया है। 34. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, अपील सफल होती है और तदनुसार इसकी अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश को पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। दोनों आपराधिक अपील, अर्थात आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 77/1994 और आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 112/1994 को उच्च न्यायालय के समक्ष उनके अनुरूप सुनवाई के लिए उनके मूल नंबरों पर बहाल कर दिया जाता है।

35. हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वे दोनों आपराधिक अपीलों पर कानून के अनुसार उनके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लें।

36. चूंकि अपीलार्थी-दीप नारायण चौरसिया अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई कुल पाँच साल की जेल की सजा में से

शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध करने के लिए पहले ही पांच महीने की जेल की सजा हो चुकी है, हम उसे (दीप नारायण चौरसिया) उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील लंबित होने तक संबंधित निचली अदालत की संतुष्टि के लिए जमानत पर रिहा करते हैं। 37. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के तथ्यात्मक पहलू पर उनके संबंधित गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, जो कि दो आपराधिक अपीलों का विषय है और इसलिए, उच्च न्यायालय दोनों अपीलों पर उनके संबंधित गुण-दोष पर निर्णय लेगा, जो इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित हैं।

38. इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा अन्य चार अभियुक्त व्यक्तियों को भेजी जाए ताकि वे उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकें।

उनकी अपीलों पर मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय।

39. यदि कोई पेश होने में विफल रहता है तो उच्च न्यायालय अपीलों की सुनवाई से पहले अन्य चार अभियुक्त व्यक्तियों को नोटिस जारी करेगा। उच्च न्यायालय ने

उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक वकील नियुक्त करने पर भी विचार किया जा सकता है।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।